कार्यालय अधिष्ठाता

वीरेन्द्र कुमार सकलेचा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नीमच (म.प्र)

ई-मेल-deangmcneemuch@gmail.com

क्रमांक 84/सामान्य/वी.कु.स.शा.चि.महा.नीमच/2024 नीमच दिनांक- 07.06.2024

संशोधित

वीरेन्द्र कुमार सकलेचा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नीमच में चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय भोपाल के पत्र क 131–32/स्था/राज/2022 भोपाल, दिनांक 10/02/2022, सामान्य प्रशान विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र कमांक एफ–07–41/2021/आ.प्र/एक भोपाल, दिनांक 06 जनवरी 2022 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश कमांक/एफ 2/1/14/0013/2023/55–2 भोपाल,दिनांक 21/11/2023 से प्राप्त नियमावली अनुसार निर्धारित चयन प्रकिया के आधार पर 150 एम.बी.बी.एस. प्रवेश हेतु एन.एम.सी के मापदण्ड अनुसार सीनियर रेसिडेन्ट के निम्नांकित रिक्त पदों पर रोस्टर समिति द्वारा रोस्टर संधारण कर सीमित पदावधि से पदों की पूर्ति हेतु वॉक–इन–इन्टरव्यू आयोजित किये गये है:–

S.No	DEPARTMENT	TOTAL POST	UR	OBC	SC	ST	EWS
1	Anatomy	03	01	01	–	01	–
2	Physiology	03	01	01	–	01	–
3	Biochemistry	03	01	01	–	01	–
4	Pharmacology	03	01	01	–	01	–
5	Pathology	03	01	01	–	01	–
6	Microbiology	03	01	01	–	01	–
7	Forensic Medicine and Toxicology	03	01	01	–	01	–
8	Community Medicine	03	01	01	–	01	–
9	General Medicine	05	02	01	01	01	–
10	Pediatrics	03	01	01	–	01	–
11	Dermatology	01	01	–	–	–	–
12	Psychiatry	01	01	–	–	–	–
13	General Surgery	05	02	01	01	01	–
14	Orthopaedics	03	01	01	–	01	–
15	Otorhinolaryngology	02	01	01	–	–	–
16	Opthalmology	02	01	01	–	–	–
17	Obstretics and Gynecology	04	02	01	–	01	–

18	Anaesthesiology	04	02	01	–	01	–
19	Radiodiagnosis	03	01	01	–	01	–
20	Dentistry	01	01	–	–	–	–
Total Post		58	24	17	02	15	–

नोटः– आवेदन हेतु शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी एवं विस्तृत विवरण संस्था की वेबसाइट medicaleducation.mp.gov.in,mgmmcindore.in,gmcratlam.org,vksgmcneemuch.org से प्राप्त की जा सकती है। रिक्त पदो की पूर्ति हेतु वॉक–इन–इंटरव्यू **प्रत्येक मंगलवार** को आयोजित किये जावेगे, जिसमें प्रातः 11 बजे के पूर्व तक वीरेन्द्र कुमार सकलेचा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नीमच के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करावे तथा आवेदन पत्र जमा करें। प्रमाण पत्रों की स्कूटनी का कार्य एवं साक्षात्कार उसी दिन आयोजित किए जाएगे। साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखो/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नही दी जावेगी। सीनियर रेसीडेन्टस की बॉण्ड सेवा अवधि शासन के जारी निर्देशानुसार रहेगी।

इंटरव्यू हेतु नियम एवं शर्ते

नोटः—आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त नियमानुसार।

01. पदो की रिक्तियो की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।

02. उक्त रिक्त पदों मे महिलाओ के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित है।

03. सिनियर रेसीडेन्ट हेतु अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नही मिलते है,तो उस स्थिति में सीटे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, आरक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी। उक्त परिस्थिति में रिक्तियों की कैटेगरी में परिवर्तन किया जा सकता है।

04. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नही हो जाता।

यह नियुक्ति निम्न शर्तो के अधीन होगीः—

05. **अवधिः**—सीनियर रेसीडेन्टस की सेवा अवधि प्रथमतः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात सेवाये संतोषजनक पाये जाने पर 01–01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 03 वर्ष तक की जावेगी।

06. **नियुक्ति का तरीकाः**— योग्य अभ्यार्थियो का चयन एम.बी.बी.एस/एम. डी/एम.एस/डी.एन.बी सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओ के अंको, शैक्षणिक अनुभव, शोध प्रकाशन एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जावेगा।

07. **शैक्षणिक योग्यताः**— सीनियर रेसीडेन्ट के लिये संबंधित विषय में एन.एम.सी/एम.सी.आई/डी.सी. आई द्वारा मान्यता प्राप्त एम.डी/एम.एस/डी.एन.बी (सीनियर रेसीडेन्ट के लिये) परीक्षा उत्तीर्ण किया है, वे ही उक्त पद हेतु पात्र होगें। मध्यप्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सको को प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा में समाप्त ऐसे उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नही होगी। किसी भी शिक्षक को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नही होगी । जिन चिकित्सको ने नोटिस निकलने की दिनांक से पिछले 05 वर्ष में एम.डी. एम.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया हो वे ही उक्त पद हेतु पात्र होगे ।

08. **यात्रा भत्ताः**— साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता नही दिया जावेगा

09. **आयु सीमाः**—साक्षात्कार हेतु किसी भी अभ्यर्थी की आयु 45 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए।

10. आवेदन निःशुल्क रहेगा (आवेदन संस्था की ई–मेल–deangmcneemuch@gmail.com पर प्रेषित किए जा सकेंगे।)

अन्य शर्तेः—

01. इन चिकित्सको को प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचित नही किया जा सकेगा, पर इन रेसीडेन्स से संबंधित सभी बातो पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

02 आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारो को तत्संबधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी म.प्र (द्वारा प्रदत्त) की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

03. म.प्र के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।

04. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रो की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी

05. सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।

06. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है, उस संस्था का अनापत्ति /स्वीकृति प्रमाण पत्र/त्याग पत्र प्रस्तुत करना होगा।

07. उम्मीदवार को म.प्र राज्य मेडिकल कौसिल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया/एन.एम.सी से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

08. सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर चयनित उम्मीदवार को आवश्यकतानुसार अन्य स्थान पर कार्य करने हेतु आदेशित किया जा सकता है।

09. साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले चिकित्सको को स्कूटनी समिति के समक्ष यह शपथ पत्र देना होगा कि उनका नाम पी.एम.टी/पी.जी/नीट फर्जीवाडे की सूची में नही है एवं उनके विरूद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नही है।

10. साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रो की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।

11. लगातार 07 दिवस से ज्यादा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने की स्थिती में आपकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

अधिष्ठाता
वी.कु.स.शा.चि.महा., नीमच